

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राज्यपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265359  
SG-DL-E-12082025-265359

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]  
No. 234]

दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2025/श्रावण 17, 1947  
DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2025/SHRAVANA 17, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 175  
[N. C. T. D. No. 175

### भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला और बाल विकास विभाग

दिल्ली, 8 अगस्त, 2025

अधिसूचना

फा.सं. 61(2033)/सीडब्ल्यूसी और जेजेपी की नियुक्ति/DD(सीपीयू)/DWCD/2023/1557-1588.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधाराओं (1), (2) और (6) तथा धारा 2 की उपधारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 (2023 में यथा संशोधित) की धारा 45 (घ) के तहत प्रदत्त भारत के माननीय राष्ट्रपति का अनुमोदन जो गृह मंत्रालय के पत्र

संख्या-14011/23/2024-दिल्ली-I दिनांक 05.04.2025 द्वारा सूचित किया गया है, माननीय

उप-राज्यपाल एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति की नियुक्ति बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के पद पर तत्काल प्रभाव से आदेशित करते हैं :-

क्रम संख्या	अध्यक्ष पद के लिए नाम
01	शेफाली जैन

बाल कल्याण समिति के लिए चयनित अध्यक्ष किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बच्चों के देखभाल की आवश्यकता और संरक्षण हेतु कार्य करेंगे तथा उनके पद की अवधि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों तक होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. रश्मि सिंह, आईएएस, सचिव

## DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 8th August, 2025

**F. No. 61(2033)/Appointment of CWC's & JJB's/DD (CPU)/DWCD/2023/1557-1588.**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) (2) & (6) of section 27 read with sub-section 59 of Section 2 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and with the approval of the Hon'ble President accorded under Section 45 (D) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (amended in 2023) conveyed by Ministry of Home Affairs' letter No 14011/23/2024-Delhi-I dated 05.04.2025, the Hon'ble Lt. Governor, GNCTD hereby makes the following appointment for the post of Chairperson in Child Welfare Committee with immediate effect :-

S.No	Name for the Post of Chairperson, CWC
01	Ms. Shefali Jain

The aforesaid Chairperson of Child Welfare Committees shall exercise the powers and discharge their duties conferred on such Committees in relation to children in need of care and protection in accordance with the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 in the National Capital Territory of Delhi. The duration of their appointment will be for a period of three years w.e.f the date of this notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi  
DR. RASHMI SINGH, IAS, Secy.